

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 20.08.2026

अवैध हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी करने वाले 05 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो 85 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा (अनुमानित कीमत लगभग ₹1.40 करोड़), 05 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, ₹30,390/- नकद एवं 01 अदद अर्टिगा कार बरामद।

अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी रामगढ़ताल, प्रभारी एएनटीएफ टीम गोरखपुर, प्रभारी एटीएस गोरखपुर व प्रभारी एटीएस वाराणसी के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान अभियुक्त 1. सूरज सिंह, 2. प्रिंस पटेल, 3. सत्यम सिंह, 4. रत्नम त्रिवेदी व 5. भावीन को हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) 03 किलो 85 ग्राम, 05 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन, नगद 30390/- रुपये व 01 अदद अर्टिगा कार को साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 415/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2026 को एटीएस वाराणसी, एटीएस गोरखपुर, एएनटीएफ गोरखपुर जोन एवं थाना रामगढ़ताल पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति दिनांक 18/19.08.2026 को अर्टिगा कार से अवैध मादक पदार्थ हाइड्रोपोनिक गांजा लेकर थाना रामगढ़ताल क्षेत्र में क्रय-विक्रय करने वाले हैं। सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एलआईसी बिल्डिंग, तारामंडल के पास चेकिंग के दौरान अर्टिगा कार संख्या GJ15AV8841 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में कार से 03 किलो 85 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, 05 एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹30,390/- नकद बरामद हुआ। कार में सवार सूरज सिंह, प्रिंस पटेल, सत्यम सिंह, रत्नम त्रिवेदी एवं भावीन को हिरासत में लिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सूरज सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी करमाही थाना कन्धई तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़
2. प्रिंस पटेल पुत्र नरेश भाई निवासी ग्रीड रोड नौसारी थाना नौसारी रूलर जनपद नौसारी गुजरात
3. सत्यम सिंह पुत्र जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी करमाही थाना कन्धई तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़
4. रत्नम त्रिवेदी पुत्र दीपक भाई निवासी 403 सर्जन पैलेस थाना कतरगा जनपद सूरत गुजरात
5. भावीन पुत्र जयेश भाई निवासी डैमन चौक थाना भावनगर जनपद भावनगर गुजरात

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 415/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना रामगढ़ताल गोरखपुर

बरामगदी-

हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) 03 किलो 85 ग्राम (अनुमानित कीमत 1.40 करोड़), 05 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन, नगद 30390/- रुपये व 01 अदद अर्टिगा कार

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रमेश राम थाना प्रभारी एएनटीएफ गोरखपुर जोन गोरखपुर
2. हे0का0 शशिकांत राय (चालक) थाना एएनटीएफ गोरखपुर
3. हे0का0 दिव्यशंकर राय, थाना एएनटीएफ गोरखपुर
4. हे0का0 दीपक वर्मा, थाना एएनटीएफ गोरखपुर
5. हे0का0 उपेन्द्र यादव थाना एएनटीएफ गोरखपुर
6. का0 संदीप सिंह थाना एएनटीएफ गोरखपुर
7. उ0नि0 सूरज कुमार तिवारी प्रभारी ए.टी.एस गोरखपुर टीम
8. हे0का0 संजय कुमार ए.टी.एस गोरखपुर टीम
9. हे0का0 मदन कुमार पासवान, ए.टी.एस गोरखपुर टीम
10. हे0का0 जितेन्द्र कुमार ए.टी.एस गोरखपुर टीम
11. उ0नि0 रितेश कुमार सिंह प्रभारी ए.टी.एस टीम प्रभारी वाराणसी
12. हे0का0 रितेश कुमार राय ए.टी.एस टीम प्रभारी वाराणसी
13. हे0का0 इन्द्र प्रताप सिंह ए.टी.एस टीम प्रभारी वाराणसी
14. हे0का0 राजेश यादव ए.टी.एस टीम प्रभारी वाराणसी
15. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौबे चौकी प्रभारी आजाद चौक थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
16. का0 रि0 अरविन्द यादव चौकी आजाद चौक थाना रामगढ़ताल गोरखपुर